

न्यायालय अपर जिला कलेक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी:- उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

अपील सं. 44 / 2024

महेन्द्र पुत्र मनफूल राम, जाति जाट, निवासी कुलचंद्र, तहसील टिब्बी हनुमानगढ

अपीलांत

बनाम

1. स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी, तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. सार्वजनिक निर्माण विभाग जरिये अधिशासी अभियंता खण्ड हनुमानगढ।

रेस्पोडेंट्स

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 30.9.2024 प्र सं. 15/2024 राजस्थान
उपनिवेशन की धारा 22 तहसीलदार टिब्बी।

- उपस्थित:- 1. श्री अनिल कुमार शर्मा अभिभाषक अपीलांत।
2. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अभिभाषक।

:-निर्णय:-

दिनांक:-30.10.2024



अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का कुलचंद्र द्वारा दिनांक 21.08.2024 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी कि चक 7 सीडीआर में प0नं0 224 / 247 (48) किला नं0 11 / 0.008 है0 गै0मु0 रास्ता दर्ज रिकार्ड हैं जिस पर गेहूँ फसल द्वारा अतिक्रमी महेन्द्र पुत्र श्री मनफूल राम जाति जाट साकिन कुलचंद्र तहसील टिब्बी द्वारा अतिक्रमण कर रखा है। भूमि गै.मु. रास्ता आराजी राज पर अतिक्रमण कर रखा है। प्रकरण उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत दर्ज कर अप्रार्थी को उपधारा 3 के तहत नोटिस जारी कर रकबे के संबंध में सबूत प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया। उक्त पत्रावली के संबंध में दिनांक 5.2.2024 को रेस्पोडेंट द्वारा निर्णय पारित किया गया जिसकी अपील इस न्यायालय के समक्ष अपीलांत द्वारा प्रस्तुत की गई जो दिनांक 31.5.2024 को स्वीकार करते हुए पुनः इस टिप्पणी के साथ रिमाण्ड की गई कि निर्णय दिनांक से 1 माह के भीतर पुनः निर्धारित बिंदुओं के आधार पर निर्णय पारित करें जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को इस न्यायालय के आदेशानुसार निर्णय पारित न कर विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया है जिसको निम्न आधार पर अपीलांत चुनौती देता है:-

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत के विरुद्ध एकतरफा निर्णय पारित कर विधि विरुद्ध आदेश पारित किया है जो कि काबिले निरस्त है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र प्रक्रम पर थी जिसको अनदेखा कर एकतरफा निर्णय पारित किया है। अपीलांत को जबाब प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया जो कि नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों के विरुद्ध होने से काबिले निरस्ती के है। अपीलाधीन निर्णय में केवल अपीलांत को तंग परेशान करने के आशय से व अपीलांत के विरुद्ध पारित किया है जो कि मनमाना होने व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध होने से काबिले खारिज के है। अपीलाधीन निर्णय में वर्णित रकबा जो कि कुलचंद्र से नाईवाला सड़क के संबंध में है। सड़क जो कि आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व सार्वजनिक निर्माण द्वारा चक 7 सीडीआर एवं 8 सीडीआर अपीलांत के रकबा में गै. मु. रास्ता के स्थान पर निकाली गई थी जो निर्बाध रूप से चली आ रही है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भी उक्त सड़क को अपीलांत के गै. मु. रास्ता के स्थान पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की होना स्वीकार किया है किन्तु ग्राम के किसी व्यक्ति द्वारा एक मनगंडत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र तहसीलदार राजस्व टिब्बी के पास प्रस्तुत किया कि उक्त सड़क अपने सही स्थान पर निर्मित नहीं है जिस पर तहसीलदार द्वारा एक मौका रिपोर्ट पैमाइश हेतु विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जिससे संतुष्ट नहीं होकर ग्रामीणों ने श्रीमान जिला कलेक्टर भू अभिलेखागार हनुमानगढ के समक्ष पैमाइश को खारिज करने हेतु प्रस्तुत किया जो कि विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल पैमाइश को आधार मान

कर अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो कि प्रथम दृष्टया विधि विरुद्ध होने से काबिले खारिज के है।

अपीलांट का रकबा चक 7 सीडीआर में आमने-सामने है। अपीलांट के रकबा में से उत्तर से दक्षिण सड़क कुलचंद्र - नाईवाला चालू है जो कि अपीलांट के .038 है। भूमि में से होकर गुजरती है यानी अपीलांट की सड़क के दोनों छोर में भूमि है। सड़क पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है। मुताबिक रिपोर्ट सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भी यह माना है कि अतिक्रमण नहीं है व सड़क 038 है. गै. मु. रकबा में स्वीकृत की गई है किन्तु इसके बावजूद अपीलाधीन निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा व द्विभाषीय निर्णय पारित किया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण काबिले खारिज के है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपनिवेशन अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के विपरीत है। अपीलाधीन निर्णय में अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया ना ही जवाब अपीलांट लिया गया जबकि जवाब हेतु पत्रावली आगामी पेशी प्रकम पर थी। इन तथ्यों की अनदेखी कर अहम कानूनी भूल की है जो कि अपीलाधीन निर्णय विधि विरुद्ध होने के कारण काबिले खारिजी हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन पत्रावली को इस न्यायालय के आदेश अनुसार 1 माह के भीतर निस्तारण किया जाना था। 1 माह के भीतर निस्तारण न कर निर्धारित अवधि के पश्चात प्रकरण दर्ज किया है जो कि परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है इसलिए विधि विरुद्ध प्रकिया अपनाई गई है। विधि विरुद्ध प्रकिया के आधार पर निर्णय पारित किया गया है जो कि काबिले खारिजी के है। रेस्पोंडेंट सं. 2 द्वारा सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88 आरटीए सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाम तहसीलदार टिब्बी विचाराधीन हैं। उक्त वाद में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भी यह माना है कि अपीलांट की कृषि भूमि में .038 हैक्टेयर भूमि में आमने-सामने निर्बाध रूप से सड़क चल रही है किन्तु इन तथ्यों की अनदेखी कर अधीनस्थ न्यायालय ने अहम कानूनी भूल की है जो कि काबिले खारिजी के है। अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.09.2024 प्र सं. 15/2024 तहसीलदार टिब्बी के निर्णय को खारिज फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट की तलबी की गयी। रेस्पोंडेंट नं० 01 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने उपस्थिति दी।

बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के अभिभाषक ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.9.2024 प्र सं. 15/2024 तहसीलदार टिब्बी के निर्णय को खारिज फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किये कि तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी द्वारा प्रकरण सं० 15/2024 अनवानी स्टेट बनाम महेन्द्र किस्म मुकदमा उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 निर्णय दिनांक 30.09.2024 विधि अनुसार है। इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली अवलोकन करने व उभय पक्षकारान की बहस पर मनन करने के पश्चात पाया कि:-

1. तहसीलदार टिब्बी ने उपखण्ड अधिकारी टिब्बी को प्रेषित पत्र क्रमांक 9144 दिनांक 26.10.23 में यह माना है कि प्रश्नगत सड़क नाईवाला से कुलचन्द्र राजस्व रास्ते पर निर्मित है। उक्त सड़क को आगामी संधारण हेतु पीडब्ल्यूडी को हस्तानांतरित किया गया। उक्त सड़क 30 वर्ष पूर्व निर्माण कृषि उपज मंडी द्वारा किया गया जो पीडब्ल्यूडी को हस्तांतरित है। जो वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 दर्ज है।
2. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी ने अपने निर्णय दिनांक 30.09.2024 में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अपीलांट द्वारा राजस्व रास्ते पर किस-किस किला नं० पर, किस प्रकार से, कितना अतिक्रमण किया है?, जबकि स्वीकृत रास्ता के अनुसार सड़क



वर्तमान में चालु है जो कि स्वीकृत रास्ते में ही निर्मित है। तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.09.2024 में फसल नष्ट करने का आदेश विवेकपूर्ण नहीं कहा जा सकता क्योंकि इससे राजस्व की हानि ही होती है और यह भी है कि फसल नीलामी करने में कोई विधिक या मौके अड़चन भी नहीं है।

अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी द्वारा प्रकरण सं० 15/2024 अनवानी स्टेट बनाम महेन्द्र किस्म मुकदमा उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 निर्णय दिनांक 30.09.2024 को आंशिक संशोधन किया जाता है कि प्रश्नगत रकबे से फसल नष्ट न करते हुए नियमानुसार फसल की नीलामी करे, नीलामी राशि राजकोष में जमा करवायी जावे तथा शेष निर्णय यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलेक्टर
हनुमानगढ़